भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1414

दिनांक 2.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस अभिरक्षा में कैदियों की मृत्यु

†1414. श्री सी० एस० पुट्टा राजू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पुलिस अभिरक्षा में राज्य-वार कुल कितने कैदियों की मृत्यु हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दोषी कर्मियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गय हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अन्य कारणों के चलते मरने वाले कैदियों की संख्या राज्य-वार कितनी हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु और न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में दिनांक 15.11.2014 तक के दौरान राज्य-वार दर्ज मामलों की संख्या को दर्शाने वाले विवरण क्रमश: अनुलग्नक क और ख में संलग्न हैं।

(ख): उपर्युक्त अवधि के दौरान, पिछले वर्षों से आगे लाए गए मामलों सहित, न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु के 476 मामलों में, आयोग ने 32 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई के अतिरिक्त 8,85,20,000 रु. की वित्तीय राहत की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, आगे लाए गए मामलों सहित पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के 221 मामलों में, आयोग ने 10 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई और 1 मामले में अभियोजन सहित 5,84,40,000 रु. की वित्तीय राहत की सिफारिश की थी।

……2/-

(ग): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, अभिरक्षा, चाहे वह पुलिस या न्यायिक हो, में होने वाली प्रत्येक मृत्यु, चाहे वह प्राकृतिक या अन्यथा हो, की सूचना इसके घटित होने के 24 घंटे के भीतर आयोग को दी जानी होती है।

इस प्रकार के सभी मामलों में आयोग मृत्यु के पीछे गलत कार्रवाई या लापरवाही, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए मृत्यु के कारणों की न्यायिक जांच, पोस्टमार्टम, पोस्टमोर्टम की वीडियोग्राफी, मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट सहित विभिन्न रिपोर्टें मंगाता है।

(घ): अन्य आधारों पर जेलों में कैदियों की मृत्यु की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा अलग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नहीं रखा जाता है। ट्रांजिट रिमांड के दौरान पुलिस अभिरक्षा में कैदियों की मृत्यु के मामलों को, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज मामलों में शामिल किया जाता है।